राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेड़कर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/ 49283 जयपुर, दिनांक : 23/06/2011

आदेश

पालनहार योजना का आरम्भ फरवरी, 2005 में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों से किया गया था, जिसमें समय–समय पर हुए विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 7 श्रेणी के बच्चों के पालन–पोषण हेतु सम्बन्धित पालनहार को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही हैं।

पालनहार योजना संचालन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वर्तमान आवेदन पत्र में योजना के विस्तार के फलस्वरूप समय–समय पर जुड़ी विभिन्न श्रेणीयों के अनुरूप आवश्यक सूचनाओं के संकलन तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक अन्य सूचनाऐं (यथा – जाति, राष्ट्रीकृत बैंक में बैंक खाता का विवरण आदि) लेने के लिए कॉलम/बिन्दु नहीं होने से दिनांक 01.07.2011 से वर्तमान आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) को नव निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट–2) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

नोट :–

1. **पालनहार योजनान्तर्गत वर्तमान पालनहारों एवं भविष्य में स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों के आवेदकों को माह जून, 2011 के पश्चात किसी भी परिस्थिति में बैंक खातों की बजाय अन्य तरीके से भुगतान नहीं किया जावे।**
2. **यह आदेश जारी होने की तिथि तक स्वीकृत एवं लम्बित आवेदनों को दिनांक 30.09.2011 तक नवीन निर्धारित आवेदन पत्र से प्रतिस्थापित किया जावेगा। इसके लिए विभागीय जिलाधिकारी द्वारा सभी पालनहारों को पत्र जारी किए जावेंगे।**

निदेशक एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/ 49284-367 जयपुर, दिनांक : 23/06/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, ...
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
5. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन बाबत।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य बालक अधिकारी

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पालनहार योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि स्वीकृत हेतु अनुदान आवेदन पत्र

पालनहार का फोटो	बालक/बालिका का फोटो

1. पालनहार का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. निवास स्थान का पूरा पता (यथा मकान नम्बर, मोहल्ला, गली, पोस्ट आफिस, तहसील जिला)
5. मासिक आय (समस्त स्रोतों से)
6. अनाथ बच्चों का विवरण

नाम व जाति	लिंग	आयु	शिक्षा	अन्य
1.				
2.				
3.				

6. अनाथ बच्चे के माता–पिता/पिता का पूर्ण विवरण

नाम	पता	मृत्यु के समय आयु	मृत्यु का कारण	अन्य

7. अनाथ बच्चे के माता–पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण (यथा खेती, मकान/दुकान/बैंक खाता आदि)

8. संलग्नक
   1. पालनहार का आय प्रमाण पत्र (निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिला हेतु पी.पी.ओ.)
   2. माता–पिता/पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र
   3. अनाथ बच्चों की जाति का प्रमाण–पत्र
   4. सरपंच/वार्ड पार्षद का प्रमाण–पत्र (जिसमें बच्चों का अनाथ होना व पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो।)
   5. अनाथ बच्चों के विद्यालय का प्रमाण–पत्र (छात्र/छात्रा के पढ़ने की स्थिति में)

हस्ताक्षर

पालनहार

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
पालनहार योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र

पालनहार की श्रेणी (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर √ का चिह्न लगावें।) ::

1. अनाथ बच्चों के पालनहार।
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता के बच्चों के पालनहार।
3. विधवा माता पालनहार।
4. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चों के पालनहार।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों के पालनहार।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के पालनहार।
7. नाता जाने वाली माता के बच्चों के पालनहार।
8. ....

पालनहार का फोटो	( )	( )	( )	( )
	(बच्चों की फोटो व नाम, जिनके लिए पालनहार द्वारा आर्थिक सहायता चाही गई है)			

1. पालनहार का नाम : ....
2. पालनहार के पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. जाति वर्ग (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर √ का चिह्न लगावें।) : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अल्पसख्यक/सामान्य)
5. धर्म : ....
6. निवास स्थान का पूर्ण पता (यथा मकान नम्बर, मोहल्ला, गली, पोस्ट आफिस, तहसील जिला) : ....
....
....
7. दूरभाष
   - निवास :
   - कार्यालय :
   - मोबाईल :
8. वर्तमान व्यवसाय : ....
9. वार्षिक आय (निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) : अंको में ....(शब्दों में...
....)
10. क्या बी.पी.एल. में चिह्नित है, यदि हाँ तो क्रमांक व वर्ष अंकित करें : ....
....
....
11. पालनहार का राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या व बैंक का नाम, पता : ....
....
....

12. पालनहार द्वारा जिन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता चाही गई है, उनका विवरण

	नाम	जाति	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	अन्य
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

13. बच्चों के पिता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	मृत्यु तिथि/दण्डादेश तिथि	मृत्यु/दण्डादेश का कारण	दण्डादेश/मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

14. बच्चों की माता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	मृत्यु/दण्डादेश होने/पुर्नविवाह तिथि/नाता जाने की तिथि	मृत्यु/दण्डादेश होने/पुर्नविवाह/नाता के समय आयु	दण्डादेश/मृत्यु/पुर्नविवाह/नाता प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

15. घोषणा ::

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण व संलग्न किए दस्तावेज के तथ्य सही व सत्य है। मैंने पालनहार योजना के नियम पूर्णतः पढ़/सुन/जान लिए है। मैं योजना के अनुसार आवेदन में उल्लेखित बच्चों को अपने परिवार में रखकर अपने स्वंय के बच्चों की भांति भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए स्वंय को आबद्ध करता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए तथ्य असत्य/अपूर्ण/भ्रामक पाए जाने अथवा योजना के नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग द्वारा दिए गए आदेश/निर्णय/विधिक कार्यवाही की मेरे द्वारा पूर्णतः अनुपालना की जावेगी।

हस्ताक्षर

स्थान : ....

दिनांक : ....

(पालनहार)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

1. पालनहार का निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र (विधवा माता के विधवा पेंशन योजना में लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति संलग्न करने पर आय प्रमाण पत्र व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं)
2. बैंक खाता की पास बुक की प्रति।
3. अनाथ बच्चों के प्रकरणों में माता–पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
4. न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता–पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डादेश की प्रति।
5. पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान के प्रकरणों में विधवा माता के पुर्नविवाह के प्रमाण पत्र की प्रति।
6. नाता जाने वाली माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
7. जाति प्रमाण पत्र।
8. अनाथ बच्चों /न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता–पिता के बच्चों/नाता जाने वाली माता/पुर्नविवाहित माता की संतान के प्रकरणों में सरपंच/वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र (जिसमें बच्चों का पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो।)
9. पॉच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र।
10. एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरणों में पीड़ित का राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी/ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.टी. डायरी/ग्रीन डायरी की प्रति।
11. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरणों में पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र।

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों* के पालन–पोषण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पिता/पत्नी श्री ...., निवासी .... निम्न अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वंय की संतान की भॉति पारिवारिक माहौल में पालन–पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाऐं उपलब्ध करा रहे है–

क्र. सं.	अनाथ बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा/ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे है

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
(सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/
वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)
नाम : ....
मोहर : ....

*वे बच्चें, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुर्नविवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिए ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।

कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) : ....

क्रमांक :

दिनांक :

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डानुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र .... में नियमितरूप से अध्ययनरत है–

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन/नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)
शिक्षण संस्था प्रधान
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....

कार्यालय (ग्राम पंचायत) : ....

क्रमांक : दिनांक :

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत *(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)* द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .... पत्नी श्री ...., निवासी ....अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरूष (नाम यदि ज्ञात हो) .... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:–

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र ग्राम सभा की दिनांक .... को आयोजित बैठक में की गई अनुशंषा के आधार पर आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
(सचिव, ग्राम पंचायत)
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....

कार्यालय (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) : ....

क्रमांक : दिनांक :

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित स्थानीय निकाय *(नगरीय क्षेत्र हेतु)* द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .... पत्नी श्री ...., निवासी ....अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरूष (नाम यदि ज्ञात हो) .... के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:–

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....